4

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
88 / 2023	03.10.2023	05/5/2026

1. भवानीसिंह उर्फ पप्पू पुत्र ख्यालीराम मीना, नि. अरनिया तह. गंगापुर सिटी
2. गिरधारी पुत्र ख्यालीराम मीना, नि. अरनिया तह. गंगापुर सिटी
3. धनसिंह पुत्र ख्यालीराम मीना, नि. अरनिया तह. गंगापुर सिटी
4. सुनिता पत्नि स्व. ज्ञानसिंह, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
5. मुनेश पुत्र मुरली, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
6. महेन्द्र पुत्र मुरली, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
7. धवल्या पुत्र मुरली, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
8. प्रेम पुत्र धवल्या, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
9. सरदार पुत्र बुद्धा, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
10. बाबूलाल पुत्र सरदार, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
11. जगन पुत्र प्रभु, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
12. मुरली पुत्र जयलाल, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी——वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय अरनिया तहसील गंगापुर सिटी जरिये प्रधानाचार्य
2. लैण्डहोल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 143 रकवा 12 बीघा 1 विस्वा ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी में स्थित रहा हैं। जिसके नवीन नम्बर 471 / 1234 रकवा 2.71 हैक्टेयर हाल बंदोवस्त विभाग द्वारा कायम किए गए है। उक्त भूमि में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन व खेल मैदान हेतु 5 बीघा बराबर 1.25 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 471 / 1234 / 1 रकवा 1.46 हैक्टर में से रकवा 0.25 हैक्टेयर भूमि राजीव गांधी पाठशाला हेतु आवंटन की गई, जिसका खसरा नम्बर 471 / 1234 / 1 / 3 है। उक्त भूमि में से रकवा 0.25 हैक्टर भूमि नट बस्ती ग्रामवासियों के रहवास हेतु पंचायत अरनिया को आवंटित की गई, जिसका खसरा नम्बर 471 / 1234 / 1 / 2 है। जिसका कि इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2054 लगायत 2057 में दर्ज है, इस प्रकार उक्त भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 1 को व ग्राम पंचायत अरनिया को आबादी विस्तार हेतु रिहायशी पट्टा देने हेतु आवंटित की गई जिस पर ग्राम के नट वासी की ढ़ाणी (आबादी) बसी हुई

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

४

है। जिनको 50 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा वादी नम्बर 4 लगायत 12 को आवासीय पट्टे भी जारी कर रखे है। गांव में उक्त बस्ती में अग्निकांड हो जाने के कारण ग्रामवासियों की रहवास वगैहरा नष्ट हो गयी व उनको पुनः आवास हेतु व्यवस्था की गई और रहवास हेतु सरपंच द्वारा पट्टे भी जारी किए गए है। आराजी खसरा नम्बर 471/1234 रकवा 1.25 हैक्टेयर का इन्द्राज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अरनिया के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 471/1234/1/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर का इन्द्राज आबादी आरक्षित नट बस्ती के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 471/1234/1/3 रकवा 0.25 हैक्टेयर राजीव गांधी पाठशाला के नाम दर्ज है, जिसका कि इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2054 लगायत 2057 वाकेग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी में दर्ज है। आबादी हेतु ग्राम पंचायत को श्रीमान जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 11–6–2002 द्वारा जो भूमि आरक्षित की गयी है वह आदेश निम्न प्रकार है–

"क्रमांक/एफ. 12 (145) आबादी / राजस्व/2002/4689–96 दिनांक 11–6–2002 सरपंच, ग्राम पंचायत बाढ़कलां तहसील गंगापुर सिटी की मांग पर ग्राम अरनिया की भूमि खसरा नम्बर 471/1234/1 कुल क्षेत्रफल 1.46 हैक्टेयर किस्म भूमि सिवायचक बंजड़ में से भूमि 0.25 हैक्टेयर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प (6) राज–6/2000/17 दिनांक 23.10.2001 एवं 6 (746) राज–3/01 दि० 11.1.02 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की जाती है।"

उक्त भूमि खसरा नम्बर 471/1234 के उत्तर की दिशा में खसरा नम्बर 470 वादी नम्बर 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है व उससे लगती हुई भूमि नम्बर 1251/1234 खसरा नम्बर 471/1234/1/2 ग्रामवासी नट बस्तियों की आराजी है जिस पर 50 वर्ष से नटबस्ती बसी हुई है। कागजात सरकार लैण्ड रिकॉर्ड रेवन्यू में उक्त मौके के अनुसार तरमीम नहीं हो रही है व आए दिन वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य नाइत्तफाकी रहती है व झगड़े फसाद की संभावना रहती है। राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन आबादी को पश्चिम दिशा में दर्शा दिया जिसका कि नम्बर 1291/1234 कायम कर दिया जबकि उक्त आबादी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 470 से लगती हुई है व इस आबादी से लगती हुई ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अरनिया की भूमि है। सहवन से भूलवश तरमीम गलत हो जाने के कारण विवाद का विषय बन गया और आए दिन झगड़ा फसाद होकर शांतिभंग होने की संभावना रहती है कितनी ही मर्तबा वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2 को निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा राजस्व अभिलेख में कोई संशोधन नहीं किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ नजीरी नक्शा भी पेश किया है, संलग्न नजीरी नक्शे के मुताबिक कागजात सरकार लैण्ड रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर आबादी की तरमीम आबादी के चिन्ह के अनुसार की जावें व इसका बट्टा नम्बर भी कायम किया जावें। प्रतिवादीगण

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

का अपनी फैल बेजा हरकतों से उस समय तक बाज आना नामुनकिन है जब तक कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा। प्रतिवादीगण को इस आशय का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वाद तरमीम प्रतिवादीगण वादी नम्बर 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 470 व आबादी खसरा नम्बर हाल नम्बर 1291/1234 471/1234/1/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाकेग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी नजीरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित स्थान में किसी प्रकार की मानेमदालखत ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावें। लैण्ड होल्डर राज्य सरकार को इन्द्राज दुरूस्ती की रिलीफ होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। राज्य सरकार प्रतिवादी संख्या 1 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अरनिया व प्रतिवादी संख्या 2 को धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिए जाने में समय लगता इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी के नोटिस से एक्जेम्पट फरमाया जावें क्यों कि यदि नोटिस देकर दावा किया जाता है तो प्रतिवादीगण वादीगण को भूमि मुतदाविया से बेदखल कर देंगे और दावा पेश करने का मकसद फौत हो जावेगा इसलिए धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर यह घोषित फरमाया जावें कि हाल खसरा नम्बर 1291/1234 रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी की तरमीम हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 470 जानिब दक्षिण दिशा से लगती हुई नट बस्ती ढ़ाणी आबादी का चिन्ह बनाते हुए व खसरा नम्बर 471/1234 जानिव उत्तर दिशा में नजीरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान पर की जावें एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम जो पहले जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1291/1234 की, की है निरस्त की जावें। कागजात सरकार लैण्ड रिकॉर्ड रेवन्यू में इसी अनुसार इन्द्राज की दुरूस्ती की जावें। प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग भूमि में किसी प्रकार की मानेमदालखत ना तो स्वयं करें नाहीं किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं ना ही कोई जबाब प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 लैण्डहोल्डर की ओर से जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि भू प्रबन्ध खतौनी ग्राम अरनिया संवत 2039 के अनुसार गत खसरा नम्बर 143 मिन से हाल खसरा नम्बर 471 रकबा 2.71 है0 बना है। नामान्तकरण संख्या 152 निर्णय दिनांक 08.05.1992 ग्राम अरनिया के अनुसार खसरा नम्बर 471/1234 रकबा 2.71 है0 में से नवीन खसरा नम्बर 471/1234/2 रकबा 1.25 है0 भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय अरनिया को खेल मैदान हेतु स्वीकृत हुई है। नामान्तकरण की पुश्त पर आवंटित भूमि की तरमीम अंकित है एवं इसी अनुसार ही नक्शा लट्ठा में तरमीम हो रही है। नामान्तरकरण संख्या 343 दिनांक 03.08.2002 के अनुसार खसरा नम्बर 471/1234/1 रकबा 1.46 है0 में से 0.25 है0 भूमि ग्राम

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

7

पंचायत बाढकलां को आबादी हेतु स्वीकार हुई है। जिसका नवीन खसरा नम्बर 471/1234/2 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी बना है एवं प्रस्तावित अनुसार ही नक्शा लट्ठा में तरमीम हो रही है। नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 03.08.2002 के अनुसार खसरा नम्बर 471/1234/1 रकबा 1.21 है0 में से 0.25 है0 भूमि राजीव गांधी पाठशाला नट बस्ती ग्राम अरनिया के नाम स्वीकार हुई है एवं प्रस्तावित अनुसार ही नक्शा ट्रेस में तरमीम हुई है। वर्तमान में खसरा नम्बर 471/1234 का रकबा 0.96 है0 है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशानुसार जमाबंदी में अंकित मिन नम्बर व बट्टा नम्बर जो दो से अधिक बट्टा में हो को समाप्त कर उनके स्थान पर नवीन नम्बर दिये गए जो निम्न प्रकार है।

पुराना नम्बर	नया नम्बर	रकबा है0 में	खातेदार का नाम
471/1234/1/2	1291/1234	0.25	ग्राम पंचायत बाढकलां आबादी
471/1234/2	471/1234	1.25	रा0उ0प्रा0वि0 अरनिया स्कूल खेल मैदान
471/1234/1/3	1292/1234	0.25	राजीव गांधी पाठशाला नट बस्ती
471/1234/1	1293/1234	0.96	सिवायचक लगानी

नोटः— वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर 471/1234 रकबा 1.25 है0 व खसरा नम्बर 1291/1234 के आंशिक भाग पर पक्के मकानात बने हुए है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी—

1. आया भूमि खसरा नम्बर 470 वादीगण 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है व उससे लगी हुई भूमि हाल खसरा नम्बर 471/1234/1/2 हाल खसरा नम्बर 1291/1234 ग्राम अरनिया ग्राम पंचायत बाढ़कलां आबादी की भूमि है। आबादी बसी हुई है।——वादीगण

2. आया नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन आबादी को गलत रूप से पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1291/1234 को दर्शा दिया है जिसकी दुरूस्ती होना आवश्यक है। ——वादीगण

3. आया हाल खसरा नम्बर 1291/1234 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाकेग्राम अरनिया की दुरूस्ती नक्शा ट्रेस में जानिव दिशा उत्तर में खसरा नम्बर 470 से लगती हुई की जावें। पूर्व की तरमीम नक्शा ट्रेस में निरस्त की जावें। —— वादीगण

4. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने वादपत्र के साथ नजरी नक्शा, नकल जमाबंदी संवत 2070—2073 खाता संख्या 275 प्रदर्श 1, खाता संख्या 276 प्रदर्श 2, खाता संख्या 1 प्रदर्श 3, खाता संख्या 87 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2032—2035 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2054—2057 प्रदर्श 6, नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श—7, फोटोकॉपी नकल आदेश दिनांक 11.06.2002 कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर प्रदर्श 8, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 9, नकल जमाबंदी संवत 2046—2049 प्रदर्श 10 फोटोकॉपी आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्रदर्श 11, प्रदर्श 12, प्रदर्श 13

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

8

प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी भवानी सिंह उर्फ पप्पू मीना पीडब्ल्यू 1, वादी सरदार नट पीडब्ल्यू 2 कराये है।

जबाब के समर्थन में लैण्डहोल्डर तहसीलदार की ओर से फोटोकॉपी आदेश दिनांक 19.07.83 कार्यालय जिलाधीश सवाई माधोपुर, फोटोकॉपी पत्र तहसीलदार गंगापुर सिटी, फोटोकॉपी नामान्तकरण संख्या 152 दिनांक 08. 15.1992, फोटोकॉपी आदेश दिनांक 09.08.2002 कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, फोटोकॉपी नामान्तकरण संख्या 342 दिनांक 03.08.2002, फोटोकॉपी नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी आदेश दिनांक 26.06.2002 कार्यालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, फोटोकॉपी नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 03.08.2002, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं राजकीय पैरोकार सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

राजकीय पैरोकार ने अपने जबाब के अनुसार बहस करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। लैण्डहोल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत जबाब के अनुसार नामान्तकरण संख्या 152 दिनांक 08.05.1992 के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय अरनिया को खेल मैदान हेतु भूमि खसरा नम्बर 471/1234/2 रकबा 1.25 है0 आवंटित की गयी है एवं आवंटित भूमि की तरमीम प्रस्ताव के अनुसार ही लट्ठा शीट में हो रही है। इसका वर्तमान में खसरा नम्बर 471/1234 रकबा 1.25 है0 दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 342 दिनांक 03.08.2002 के अनुसार खसरा नम्बर 471/1234/1 रकबा 1.46 है0 में से 0.25 है0 भूमि ग्राम पंचायत बाढकलां को आबादी हेतु आरक्षित की गयी है जिसका नवीन खसरा नम्बर 471/1234/2 रकबा 0.25 है0 कायम किया गया एवं प्रस्ताव के अनुसार ही नक्शा शीट में इसकी तरमीम की गयी है। इसका वर्तमान खसरा नम्बर 1291/1234 रकबा 0.25 है0 कायम किया गया है। नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 03.08.2002 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 471/1234/1 रकबा 1.21 है0 में से 0.25 है0 भूमि राजीव गांधी पाठशाला नट बस्ती ग्राम अरनिया के नाम आवंटित की गयी है। जिसका खसरा नम्बर 471/1234/1/3 रकबा 0.25 है0 कायम किया गया एवं प्रस्ताव के अनुसार ही नक्शा शीट में तरमीम की गयी है। इसका वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 1292/1234 रकबा 0.25 है0 दर्ज है। इस प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय अरनिया, राजीव गांधी पाठशाला नट बस्ती अरनिया, व ग्राम पंचायत बाढकलां को आबादी हेतु आवंटित भूमि की तरमीम इन आवंटन आदेशो के साथ संलग्न नक्शा ट्रेसों के अनुसार नक्शा ट्रेस में की गयी है। वादीगण खसरा नम्बर 1291/1234 रकबा 0.25 है0 आबादी की एवं खसरा नम्बर 471/1234 रकबा 1.25 है0 राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय अरनिया स्कूल खेल मैदान की तरमीम पूर्व में की गयी तरमीम के स्थान पर वर्तमान वाद में वादीगण द्वारा प्रस्तावित तरमीम के

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

7

अनुसार करवाना चाहते है जो किया जाना उचित नहीं है क्योंकि पूर्व में इन नम्बरों की जो नक्शा ट्रेस में तरमीम की गयी है वह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भूमि आवंटन आदेश के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस के अनुसार ही की गयी है एवं उसमें इस कार्यालय के स्तर पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (स०मा०)

10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. भवानीसिंह उर्फ पप्पू पुत्र ख्यालीराम मीना, नि. अरनिया तह. गंगापुर सिटी
2. गिरधारी पुत्र ख्यालीराम मीना, नि. अरनिया तह. गंगापुर सिटी
3. धनसिंह पुत्र ख्यालीराम मीना, नि. अरनिया तह. गंगापुर सिटी
4. सुनिता पत्नि स्व. ज्ञानसिंह, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
5. मुनेश पुत्र मुरली , नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
6. महेन्द्र पुत्र मुरली, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
7. धवल्या पुत्र मुरली, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
8. प्रेम पुत्र धवल्या, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
9. सरदार पुत्र बुद्धा, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
10. बाबूलाल पुत्र सरदार, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
11. जगन पुत्र प्रभु, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी
12. मुरली पुत्र जयलाल, नट, निवासी अरनिया तह. गंगापुर सिटी——वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय अरनिया तहसील गंगापुर सिटी जरिये प्रधानाचार्य
2. लैण्डहोल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —88/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई राजकीय पैरोकार मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/5/26 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिक
गंगापुर सिटी (राज

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज.) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज.)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिक
गंगापुर सिटी (रा